उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065
UPRVUNL

संख्या –85/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:175–175.3/2018 दिनांक:25/04/2018

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनाँक 09 अप्रैल 2018 को संपन्न 175वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में यथाप्रभावी "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970" (यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या: 22/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम दिनाँक 27.02.2015) के विनियम–5 के अन्तर्गत परिशिष्ट 'ग' के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–1 में अंकित प्राविधानों को उसके सम्मुख स्तम्भ–2 में अंकित प्राविधानों से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

वर्तमान प्राविधान	प्रतिस्थापित प्राविधान
विनियम–5 के उप–विनियम–1 के खण्ड (ख) एवं (ग) के अधीन भर्ती के प्रयोजनार्थ चयन, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा :– I) विनियम–5 के उप विनियम–1 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत यथा निर्धारित कोटे के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु व्यवस्था निम्नवत् होगी :– (अ) <u>दिनांक 31–05–2013 के पूर्व नियुक्त अवर अभियन्ताओं के सम्बन्ध में</u> :– अवर अभियन्ता सेवा (विद्युत/यांत्रिकी/इलेक्ट्रानिक्स) के सदस्य जो पद पर स्थायी हों, संवर्ग में कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हों तथा जिन्होंने निगम द्वारा निर्धारित दो माह का प्रशिक्षण सन्तोषजनक रीति से पूर्ण कर प्रशिक्षण उपरान्त आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, परन्तु डिप्लोमाधारी अवर अभियन्ताओं को उपरोक्त प्रशिक्षण एवं परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा।	विनियम–5 के उप–विनियम–1 के खण्ड (ख) एवं (ग) के अधीन भर्ती के प्रयोजनार्थ चयन, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा :– **I) विनियम–5 के उप विनियम–1 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत यथा निर्धारित कोटे के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु व्यवस्था निम्नवत् होगी :–** **(अ) <u>दिनांक 31–05–2013 के पूर्व नियुक्त अवर अभियन्ताओं के सम्बन्ध में</u> :–** **अवर अभियन्ता सेवा (विद्युत/यांत्रिकी/इलेक्ट्रानिक्स) के सदस्य जो पद पर स्थायी हों, संवर्ग में कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हों तथा जिन्होंने निगम द्वारा निर्धारित दो माह का प्रशिक्षण सन्तोषजनक रीति से पूर्ण कर प्रशिक्षण उपरान्त आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, परन्तु डिप्लोमाधारी अवर अभियन्ताओं को उपरोक्त प्रशिक्षण एवं परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा।** **यदि कोई गैर डिप्लोमाधारी अवर अभियंता, प्रशिक्षण उपरान्त आयोजित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं**

	तो पुनः परीक्षा आयोजित कर उन अनुत्तीर्ण अवर अभियंताओं को इस परीक्षा में शामिल होने हेतु एक अन्तिम अवसर प्रदान किया जायेगा, जो कि प्रथम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कम से कम एक वर्ष के पश्चात ही दिया जायेगा। इस क्रम में द्वितीय परीक्षा एन0पी0टी0आई0 द्वारा करायी जायेगी।
(ब) दिनांक 31–05–2013 को तथा उसके पश्चात् नियुक्त अवर अभियन्ताओं के सम्बन्ध में:– अवर अभियन्ता सेवा (विद्युत / यांत्रिकी / इलेक्ट्रानिक्स) के सदस्य जो पद पर स्थायी हों, संवर्ग में कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हों तथा जिन्होंने निगमादेश सं0: 88 / उनिलि / रिफार्म / विनियम / 08 / अभियन्ता सेवा दिनांक अक्टूबर 01, 2008 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अभियांत्रिकी में डिप्लोमा प्राप्त किया हो।	(ब) यथावत्।
(II) ऐसे संगणक जो पद पर स्थायी हों तथा जिन्होंने अपनी सेवा के कम से कम 10 वर्ष संगणक / प्रारूपकार के रूप में पूरे कर लिये हों तथा निम्न में से कोई अर्हता प्राप्त हो :– (अ) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी विधेयक द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त विद्युत / यांत्रिकी अभियन्त्रण में डिप्लोमा या (ब) राज्य की तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त विद्युत / यांत्रिकी अभियन्त्रण में 03 वर्षों का डिप्लोमा।	(II) यथावत्।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांकः85 / उनिलि / रिफॉर्म / विनियम:175–175.3 / 2018 तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0 / वित्त / तकनीकी / परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव / स्टाफ ऑफिसर।

4. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ़।
5. मुख्य अभियन्ता, पीपीएमएम/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/आर0एण्ड0एम0/जानपद नव–परियोजना /पर्यावरण एवं सुरक्षा/न्यू कोल ब्लॉक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कंपनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 09.04.2018 को सम्पन्न 175वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा आइटम संख्या–175.3 के संदर्भ में।
10. उपमहाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0 1/2/3/4/5)/प्रशिक्षण इकाई/संसदीय कार्य इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,
25/04/18

(मो0 तसनीम)
मुख्य अभियन्ता (मा0सं0)